


सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के प्रावधानों के तहत
17 बिन्दुओं में से राजस्व शाखा की जानकारी :-

1. नागरिक सुविधाएं प्रदान करना।
2. राजस्व विभाग द्वारा सम्पादित कृत्य एवं कर्तव्य :-
 1. निगम (विघटित साडा) द्वारा तीस वर्षीय लीज पर आबंटित व्यवस्थापित भूमि का लीज नवीनीकरण
 2. नामान्तरण – निगम द्वारा लीज पर आबंटित भूमि का क्रय विक्रय, दान पत्र, बटवारा, वसीयत, वारीसान आधार पर नामान्तरण का कार्य एवं स्वीकृति प्रदान करना।
 3. बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
 4. शासकीय नजूल भूमि के आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
 5. पुलिस विभाग को आरोपियों की चल अचल सम्पत्ति की जानकारी देना।
 6. निगम क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु तालाब आबंटित करना।
 7. निगम क्षेत्र के अन्तर्गत लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की वसूली का कार्य।
 8. सायकल स्टैंड का निलामी के माध्यम से आबंटन।
 9. पशुवध गृह की नीलामी से आबंटन।
 10. अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण की रोक-थाम।
 11. शासन के निर्देशानुसार विज्ञापन बोर्ड की नीलामी।
 12. भवन अनुज्ञा प्रकरणों का सत्यापन का कार्य।
 13. भू-भाटक, विज्ञापन शुल्क, निर्यातकर, नामान्तरण शुल्क, विलंब शुल्क वसूली का कार्य।
 14. निगम के सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था।
 15. जिला कार्यालय एवं शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर होने वाले निगम, विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव सम्बंधी कार्य।
 16. झुग्गी झोपड़ी अधिनियम के अन्तर्गत शासन से प्राप्त पट्टे का संधारण।


राजस्व अधिकारी
बनार पालिक निगम
बिहार